



UPBG010002572026

न्यायालय: प्रथम अपर जिला जज, बागपत।

उपस्थित: पूनम राजपूत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे० ओ० कोड- यू०पी० 6104

विविध वाद कम्प्यूटर संख्या- 03/2026

शिवचरण राठी बनाम नगर पंचायत टिकरी आदि

अन्तर्गत धारा- 5 मियाद अधिनियम

दिनांक: 12.03.2026

- 1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र 4(ग)2 आदेश हेतु नियत है जिस पर पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है।
- 2- प्रार्थना पत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 5(ग)2 प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से द्वारा अधिवक्ता इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील मान्य न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), बागपत द्वारा वाद संख्या 327/2012, शिवचरण राठी बनाम नगर पंचायत टिकरी आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 व डिग्री दिनांकित 28.10.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है। आदेश दिनांकित 16.10.2025 को पारित होने के उपरान्त दिनांक 31.10.2025 को नकल सवाल डाला गया तथा मान्य न्यायालय ने डिग्री बनाने के पश्चात दिनांक 21.11.2025 को नकल विभाग से नकल तैयार करके दी गयी। नकल प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी के मुंशी जी ने प्रार्थी/अपीलार्थी को फोन पर सूचना दी कि नकल प्राप्त हो गयी है, परन्तु उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी बुखार से पीड़ित हो गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी वृद्ध तथा कमजोर होने के कारण चल-फिर नहीं सकता था, इस कारण से आने में असमर्थ था। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा ठीक होने के पश्चात अविलम्ब उक्त अपील न्यायालय में योजित की है। अतः अपील दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।
- 3- विपक्षी/प्रत्यर्थी संख्या 02 ता 04 की ओर से प्रार्थी/अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध लिखित आपत्ति पत्र कागज संख्या 6 ग प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।
- 4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील मान्य न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), बागपत द्वारा वाद संख्या 327/2012, शिवचरण राठी बनाम नगर पंचायत टिकरी आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने आदेश दिनांकित 16.10.2025 पारित होने के उपरान्त दिनांक 31.10.2025 को नकल सवाल डाला, जिसके पश्चात उसे उक्त आदेश की नकल दिनांक 21.11.2025 को प्राप्त हुई, परन्तु उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी बुखार से पीड़ित हो गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी वृद्ध तथा कमजोर होने के कारण चल-फिर नहीं सकता था, जिस कारण से वह न्यायालय आने में असमर्थ था। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा ठीक होने के पश्चात अविलम्ब उक्त अपील न्यायालय में योजित की है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील योजित करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है जो भी देरी हुई है, वह उपरोक्त परिस्थितिवश हुई है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र

पर विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था दिल्ली डेवलपमेन्ट अथॉरिटी बनाम जगन सिंह एवं अन्य, 2023, एस०सी०सी०आर० पेज 827, सिविल अपील संख्या-4335/2023 निर्णय दिनांकित 13.07.2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि- *'Over the years, this Court has repeatedly held that a liberal and justice-oriented approach needs to be adopted in the matters of condonation of delay so that the substantive rights of the parties are not defeated only on the ground of delay. The power under Section 5 of the Limitation Act, 1963 must be exercised in a very meaningful manner which will serve the ends of justice.'*

6- प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में किये गये कथनों को शपथपत्र से समर्थित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण दिया गया है, वह पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी को धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि प्रार्थनापत्र विलम्ब से योजित किया गया है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से की जा सकती है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम **अंकन 5,00/- (पाँच सौ) रुपये हर्जे** पर स्वीकार किया जाता है तथा सिविल अपील योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जे की धनराशि नियत तिथि को विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण को अदा करना सुनिश्चित करें। सिविल अपील को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु, पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत को प्रेषित की जाए। पक्षकार माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को पेश हों।

दिनांक: 12.03.2026

पूनम राजपूत
अपर जिला जज/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।